International Year of Cooperatives 2025 — Cooperatives Build a Better World

International Year of Cooperatives 2025 — Cooperatives Build a Better World

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/RAILWAY BOARD

आरबीई सं. : 36/2025

सं. एफ(ई)I/2025/एएल-28/4 **नई दिल्ली, दिनांक: 29.04.2025**

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं.
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल अधिकारियों के दौरे/कार्य के दौरान हवाई यात्रा पात्रता संबंधी में अनुदेशों में आशोधन और हवाई यात्रा की स्वीकृति के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 24.04.2018, 08.05.2018 एवं 10.05.2018 के पत्र सं. एफ(ई)I/2017/एएल-28/41 और बोर्ड का दिनांक 13.08.2021 का पत्र सं. एफ(ई)I/2021/एएल-28/47

*****

रेल अधिकारियों के दौरे/कार्य पर हवाई यात्रा पात्रता और हवाई यात्रा की स्वीकृति के संबंध में शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। अब पूर्ववर्ती सभी अनुदेशों में आशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दौरे/कार्य पर हवाई यात्रा के संबंध में संशोधित अनुदेश निम्नानुसार होंगे:

I. क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों में प्रधान विभागाध्यक्ष/मुख्य विभागाध्यक्ष, निर्माण संगठनों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में महानिदेशक और विभागीय कार्यालयों में मंडल रेल प्रबंधक उनके नियंत्रण में अधिकारियों के लिए ड्यूटी के दौरान हवाई यात्रा की स्वीकृति प्रदान करें:

(i) वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए वित्तीय सहमति के बिना।

(ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए वित्तीय सहमति के साथ।

II. रेलवे बोर्ड में, अधिकारियों द्वारा कार्य पर हवाई यात्रा की स्वीकृति का अधिकार अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक के पास रहेगा। बहरहाल, निदेशक स्तर के नीचे के अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर हवाई यात्रा हेतु पूर्व वित्तीय सहमति अनिवार्य होगी।

III. लेवल-13 और उससे नीचे के अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा पात्रता इकॉनामी क्लास और लेवल-14 तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए यह वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017/-ई.IV के तहत जारी अनुदेशों अर्थात बिजनेस/क्लब क्लास के अनुसार होगी।

IV. अधिकारी को अपने यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के दावे में यात्रा कार्यक्रम का एक स्व-प्रमाणन देना होगा और साथ ही यह उल्लेख करना होगा कि किसी भी ग्रुप सी कार्मिक को अधिकारी द्वारा कार्य पर यात्रा पर साथ नहीं ले जाया गया है।

(संजय पाराशर)
स० निदेशक, वित्त (स्थापना)
29/04/2025

V. यदि प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है, तो यह वास्तविक हवाई किराया या पात्र श्रेणी के तीन गुना रेलगाड़ी किराया, जो भी कम हो, तक सीमित होगा।

VI. इसके लिए कोई अतिरिक्त बजटीय आवंटन नहीं दिया जाएगा।

2. इसे बोर्ड (सदस्य वित्त एवं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(संजय पाराशर)
संयुक्त निदेशक वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड

सं.एफ(ई)I/2025/एएल-28/4 **नई दिल्ली, दिनांक : 29.04.2025**

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

सं.एफ(ई)I/2025/एएल-28/4 **नई दिल्ली, दिनांक : 29.04.2025**

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. महासचिव, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएसएसए एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, नॉन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (रेलवे बोर्ड), रेल भवन, नई दिल्ली।
11. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 7 (भूतल), रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्प्लाइज़ फेडरेशन (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड

सं.एफ(ई)I/2025/एएल-28/4 नई दिल्ली, दिनांक : 29.04.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. रेल मंत्री के निजी सचिव, रेल मंत्री के कार्यपालक निदेशक जन शिकायत, रेल मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी, रेल मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय), रेल मंत्री के सलाहकार, रेल राज्यमंत्री(एस) के निजी सचिव, रेल राज्यमंत्री (आर) के कार्यपालक निदेशक जन शिकायत।
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सदस्य वित्त, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/चल एवं कर्षण स्टॉक, सचिव/रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव।
3. महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/संरक्षा, महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवा), महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल)
4. सभी अपर सदस्य, प्रधान कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक, संयुक्त सचिव।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.एफ(ई)I/2025/एएल-28/4 नई दिल्ली, दिनांक : 29.04.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महानिदेशक, इरिसेन/पुणे, ईरीन/नासिक रोड, इरिमी/जमालपुर और इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिफेम/सिकंदराबाद, इरिटेम/लखनऊ.
2. प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पीएलडब्ल्यू, पटियाला
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरकॉन, आईआरएफसी, एमआरवीसी, आईआरसीटीसी, कॉनकोर, राइट्स, आरवीएनएल, रेलटेल, केआरसीएल और प्रबंध निदेशक, क्रिस
4. उपाध्यक्ष, आरएलडीए, नई दिल्ली
5. रजिस्ट्रार, आरसीटी/दिल्ली
6. अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्डों
7. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ

International Year of Cooperatives 2025

International Year of Cooperatives 2025

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. : 36/2025

No. F(E)I/2025/AL-28/4 **New Delhi, Dated : 29.04.2025**

General Managers
All Indian Railways/PUs
DG, RDSO
(As per standard mailing list)

Sub : Modification of Instructions regarding Air Travel Entitlements of Railway officers on Tour/Duty and Delegation of Powers w.r.t. Sanctioning of Air Travel.

Ref : Railway Board's letters No. F(E)I/2017/AL-28/41, dated 24.04.2018, 08.05.2018 & 10.05.2018 and Board's letter No. F(E)I/2021/AL-28/47, dated 13.08.2021.

*****

Instructions regarding air travel entitlements of Railway officers on tour/duty and delegation of powers w.r.t. sanctioning of air travel have been issued from time to time. It has now been decided in modification to all the earlier instructions on the subject that the revised instructions regarding air travel on tour / duty will be as following :

I. PHOD/CHOD in Zonal Railways/PUs, CAO/C in Construction Organizations, DGs in CTIs and DRM in Divisional offices may, for officers under their control, sanction travel by air on duty:

(i) Without Finance concurrence for officers in Pay Matrix Level-14 & above.

(ii) With Finance concurrence for officers in Pay Matrix Level-13 & below.

II. In Railway Board, power to sanction air travel on duty by officers shall remain with AMs/PEDs. However, prior Finance concurrence shall be mandatory for air travel on duty by officers below the Director level.

III. Air travel entitlement for officers of Level-13 and below would be in Economy Class and for officers in Level-14 and above would be as per MoF/DoE's instructions issued vide O.M. No: 19030/1/2017/-E.IV, dated 13.07.2017, i.e., in Business / Club Class.

IV. The officer will have to submit a self-certification in his/her Tour Programme and also with TA/DA claim that no Group C staff is being booked/has travelled on duty with the officer.

-----2/-

(SANJAY PRASHAR)
JDFE/Rly Bd

V. If the reimbursement is being claimed, the same would be limited to actual air fare or three times of train fare of entitled class, whichever is lower.

VI. No extra Budgetary allotment would be provided.

2. This issues with the approval of Board (MF and CRB).

3. Hindi version will follow.

(Sanjay Prashar)
Jt. Director, Finance (Estt.)
Railway Board.

No. F(E)I/2025/AL-28/4 **New Delhi, dated : 29.04.2025**

Copy to:

1. Deputy Comptroller & Auditor General of India (Rlys.), R.No. 222, Rail Bhawan, New Delhi.
2. PFAs of All Zonal Railways/PUs.

for Member Finance, Railway Board

No. F(E)I/2025/AL-28/4 **New Delhi, dated: 29.04.2025**

Copy to:

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-C, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi
5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The General Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The General Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The General Secretary, RBSSSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The General Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The General Secretary, Railway Board Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7 (Ground Floor), Rail Bhawan, New Delhi.
12. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employees Federation (AIOBCREF), Room No. 48, Rail Bhawan, New Delhi.

29.04.2025

for Principal Executive Director (IR) / Railway Board

No. F(E)I/2025/AL-28/4 New Delhi, dated: 29.04.2025

Copy to:

1. PS to MR, EDPG to MR, OSD to MR, OSD (Co-ord) to MR, Advisor to MR, PS to MoSR(S), EDPG to MoSR(R).
2. PSOs/Sr.PPSs/PPSs to CRB, MF, M/O&BD, M/Infra, M/T&RS, Secretary/RB.
3. DG/HR, DG/Safety, DG(RHS), DG(RPF).
4. All Addl. Members, PEDs, EDs, JSs.
5. Pay & Accounts Officer, M/o Railways (Railway Board).

No. F(E)I/2025/AL-28/4 New Delhi, dated : 29.04.2025

Copy to:

1. The DGs, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad, IRIFM/Secunderabad, IRITM/Lucknow.
2. Principal CAO, PLW, Patiala.
3. The CMDs, IRCON, IRFC, MRVC, IRCTC, CONCOR, RITES, RVNL, Railtel, KRCL and MD, CRIS.
4. The VC, RLDA, New Delhi.
5. The Registrar, RCT/Delhi.
6. Chairmen of All RRBs.
7. The Chief Commissioner of Railway Safety/Lucknow.

*****